

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 38 : Claim of credit by a banking company or a financial institution

A banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, engaged in supply of services by way of accepting deposits or extending loans or advances that chooses not to comply with the provisions of sub-section (2) of section 17, in accordance with the option permitted under sub-section (4) of that section, shall follow the following procedure, namely,-

- (a) the said company or institution shall not avail the credit of,-
 - (i) the tax paid on inputs and input services that are used for non-business purposes; and
 - (ii) the credit attributable to the supplies specified in sub-section (5) of section 17, ¹[****];
- (b) the said company or institution shall avail the credit of tax paid on inputs and input services referred to in the second proviso to sub-section (4) of section 17 and not covered under clause (a);
- (c) fifty per cent. of the remaining amount of input tax shall be the input tax credit admissible to the company or the institution ²[and the balance amount of input tax credit shall be reversed in **FORM GSTR-3B**];
- (d) ³[****]

1 Omitted the words "in **FORM GSTR-2**" by Noti. No. 19/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022.

2 Substituted for "and shall be furnished in **FORM GSTR- 2**" by Noti. No. 19/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022.

3 Clause (d) omitted by Noti. No. 19/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022. Earlier to omission it read as under:

"(d) the amount referred to in clauses (b) and (c) shall, subject to the provisions of sections 41, 42 and 43, be credited to the electronic credit ledger of the said company or the institution."

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 38 : किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्यय का दावा

कोई बैंककारी कंपनी या कोई वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो जमा स्वीकार करने या उधार देने या अग्रिम देने के रूप में सेवाओं की प्रदाय में लगी हुई है, जिसने धारा 17 की उपधारा (2) के उपबंधों की उस धारा की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात विकल्प के अनुसार अनुपालना नहीं करने का चुनाव किया है, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, अर्थात् :

- (क) (i) उक्त कंपनी या संस्था इनपुटों और गैर कारबार प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का उपभोग नहीं करेगी; और
- (ii) ¹[.....] धारा 17 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट प्रदायों के कारण किए गए प्रत्यय के प्रत्यय का उपभोग नहीं करेगी।
- (ख) उक्त कंपनी या संस्था धारा 17 की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट तथा खंड (क) के अधीन नहीं आने वाले इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का उपभोग करेगी;
- (ग) इनपुट कर की शेष रकम का पचास प्रतिशत कंपनी या संस्था को अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय होगा ²[और इनपुट टैक्स क्रेडिट की शेष राशि प्ररूप जीएसटीआर-3(ख) में उत्क्रमित कर दी जाएगी ;]
- (घ) ³[.....]

-
- 1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-2" में विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।
- 2 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द, अक्षर और अंक "और प्ररूप जीएसटीआर-2" में प्रस्तुत किया जाएगा" प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।
- 3 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा खंड (घ) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"(घ) खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट रकम को धारा 41, धारा 42 और धारा 43 के उपबंधों के अधधीन उक्त कंपनी या संस्था के इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा कर दिया जाएगा।"